संख्या-111/2016/आर-1527/26-3-2016-14(33)/2005

प्रेषक,

विजय प्रसाद त्रिपाठी,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति विकास
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 31 मई, 2016

विषयः एकलव्य माडल आवासीय विद्यालय, सोनहा-खीरी में कम्प्यूटर कक्ष के निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, जनजाति विकास, उ0प्र0लखनऊ के पत्रांक-38/ज.जा.वि.2016-17, दिनांक-16.05.2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव/आख्या पर सम्यक्विचारोपरान्त चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष की योजना **संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत जनजातियों के कल्याण हेतु माडल विद्यालय** अन्तर्गत एकलव्य माडल आवासीय विद्यालय, सोनहा-खीरी में कम्प्यूटर कक्ष के निर्माण हेतु प्राविधानित आय-व्यय धनराशि रूपया-1335.60 लाख (रूपया तेरह करोड़ पैतिस लाख साठ हजार मात्र) के सापेक्ष रूपया-8.78 लाख (रूपया आठ लाख अठहत्तर हजार मात्र) धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1)- स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरित कर कार्यदायी संस्था यू0पी0स्टेट कान्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0 को दी जायेगी। धनराशि प्राप्त होने के तुरन्त बाद कार्यदायी संस्था द्वारा मानक के अनुरूप कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा। स्वीकृत धनराशि उन्ही कार्यो हेतु व्यय की जायेगी जिनके लिये स्वीकृति प्रदान की जा रही है।

(2)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्तीय नियमों/प्रतिबन्धों तथा इस योजना हेतु भारत सरकार के दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व वर्षों में स्वीकृत की गयी धनराशि का सम्पूर्ण व्यय/उपभोग कर लिया गया है और कोई धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाकखानों/डिपाजिट आदि खातों में अवशेष जमा नहीं है और पूर्व में स्वीकृत सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

(4)-स्वीकृत की जा रही धनराशि के उपभोग एवं कार्य के भौतिक प्रगति की सूचना महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद को उपलब्ध करायी जायेगी।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-81 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-"4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूजीगत परिव्यय-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-आयोजनागत-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाए-0104-संविधान के अनुच्छेद-275(1) के अन्तर्गत जनजातियो के कल्याण हेतु माडल विद्यालय (के.100%$रा.0%)-24-वृहद निर्माण कार्य" के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च 2016 में निहित प्राविधानों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

पृ.संख्या-111/2016/आर-1527/(1)/26-3-2016 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम, उ0प्र0,इलाहाबाद।
2. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, लखीमपुरखीरी।
3. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो अतिरिक्त प्रतियों सहित)
6. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।